

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/यू-06/2018/ दिनांक:-

अधीक्षक,  
महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय,  
उदयपुर।

विषय:- श्रीमती उमा भंवर/उमेश खडिया, नर्स-2 अवकाश स्वीकृत करने  
बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 48 दिनांक 11.09.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के क्रम में श्रीमती उमा भंवर/उमेश खडिया, नर्स-2 (परिविक्षाधीन) का अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्धित प्रकरण में लेख है कि कार्मिका द्वारा उक्त अवधि के जीए-45 में चिकित्सा अवकाश चाही है जो देय नहीं है तथा रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र मूल व जीए-45 संशोधित जिसके कारण चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अंकितकर भिजवायें। सूचना भिजवाने के पश्चांत ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।


३  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 23/10/2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/यू-06/2018/1476

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर